सटीज़ ऑफ़ डेलही – सम्मलेन सेशन II – प्रक्रियाएं और संस्थाएं

26 अगस्त 2015

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

अनयिोजति रहिायशी इलाकों में प्रक्रयिाएं

प्रक्रयिाएं

- झुग्गी-झोपड़ी बस्तयिों का हटाया जाना और पुनर्वास
  - बस्तयिों का तोड़ा जाना(सोनयिा गाँधी कैंप)
  - पुनर्वास (सावदा घेवरा)
  - इन-सीटू अपग्रेडेशन (एकता वहिार)
  - इन-सीटू रीडेवलपमेंट (कठपुतली)
- कॉलोनयिों का नयिमन (यूएसी)

संस्थाएं

- डी.यू.एस.आई.बी. (DUSIB)
  - पहले, स्लम और जे.जे. वभिाग
- ज़मीन के मालकिाना हक़ वाली एजेंसयिां
  - केंद्रीय – डी.डी.ए. (मास्टर प्लानगि का काम), रेलवे, सी.पी.डब्लू.डी.
  - राज्य – डी.यू.एस.ई.बी., सी.पी.डब्लू.डी. , दल्लिी जल बोर्ड
  - स्थानीय – उत्तरी, दक्षणिी और पूर्वी नगर नगिम

अनियोजित रिहायशी इलाकों में प्रक्रियाएं

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का पुनर्वास

- कोई ऐसा मामला नहीं जो सफल रहा हो
- डी.यू.एस.आई.बी. ज़मीन के मालिकाना हक़ वाली एजेंसियों से नीचे
  - ज़मीनों की मालकिन नहीं
- ऐसा कोई एक विस्तृत दस्तावेज नहीं, जो प्रक्रिया को समझा सके

'अनाधिकृत कॉलोनियों' का नियमन

- बार-बार वायदे किये गए
- कॉलोनियों को चुनने में तर्कसंगतता की कमी
  - पी.आर.सी. (PRCs)
  - "नियमित"
- "नियमन के योग्य" = नियमित नहीं

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का हटाया जाना और उनका पुनर्वास

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटाने और पुनर्वासति करने की प्रक्रिया

- ज़मीन के मालकिाना हक़ वाली वभिन्नि एजेंसयिों का होना
  - DUSIB – मुख्य एजेंसी, सीमति शक्तयिां
- एक वस्तिृत नीत दिस्तावेज़ का न होना

दल्लिी सरकार की कसिी एजेंसी द्वारा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया

1. जसि ज़मीन पर झुग्गी-झोपड़ी बस्ती बनी हुई है उसकी ज़रुरत
2. जसि बस्ती को हटाना है वहां डी.यू.एस.आई.बी. और जसि एजेंसी की वह ज़मीन हो, परविारों का सुर्वेक्षण करते हैं
3. पुनर्वास के लिए योग्य नविासयिों पर डी.यू.एस.आई.बी. का नर्णिय
4. डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा पुनर्वास के लिए योग्य पाए गए नविासयिों की सूची जारी
5. स्वामत्वि चट्ठियिों का बांटा जाना
6. जसि एजेंसी की वह ज़मीन है, वह अपना तय दायत्वि नभिाती है
7. बस्ती के हटाये जाने का नोटसि जारी
8. बुनयिादी सुवधिाएं

संस्थागत चुनौतियों का निवारण

- सार्थक भागीदारी
  - कागज़ पर सबकी मंजूरी, पर ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं
  - निवासियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास – डी.यू.एस.आई.बी., डी.डी.ए.
- डी.यू.एस.आई.बी. और ज़मीन के मालिकाना हक़ वाली एजेंसियां
- स्वायत्तता और शक्ति
  - ज़मीन के मालिकाना हक़ वाली एजेंसियों को नीतियों के अनुसार अपने दायित्वों और कर्यवाहियों की जानकारी होना
- पारदर्शिता
  - "सार्वजनिक उद्देश्यों" ("public purpose") के लिए ज़मीन की ज़रुरत
  - पुनर्वास के लिए निवासियों की 'योग्यता' को सार्वजनिक करना
  - झुग्गियों के तोड़े जाने से पहले ठीक समय पर नोटिस

अनाधकृत कॉलोनियों का नयिमन

- कॉलोनियों के नयिमन का मतलब क्या है?
  - प्लाट या कॉलोनी के स्तर पर?
- कसिी कॉलोनी के नयिमति होने और वहाँ वकिास कार्यों के बीच सम्बन्ध
- ज़मीन
  - मालकिाना हक: सार्वजनकि/नजिी
  - लैंड यूज़ में बदलाव: डी.डी.ए. की ज़मीन
- पारदर्शिता की कमी
  - कॉलोनियां चुनने में
  - समयसीमा

संस्थागत चुनौतियों का निवारण

- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वचनबद्धता
- नियमन के फायदे
  - "विकास कार्यों" को स्पष्ट किया गया
  - व्यक्तिगत पट्टे दिए जाने
- शासन के अलग-अलग स्तरों की बीच समन्वय
  - डी.डी.ए.
  - दिल्ली सरकार की एजेंसियां
  - दिल्ली के तीनों नगर निगम
- पारदर्शिता

वश्लिेषण: पुनर्वास और नयिमन

- सुधार के उद्देश्यों से उठाये गए कदम और प्रक्रयिाओं ने वंचन को मज़बूत कयिा
  - योग्यता और चयन के मौजूदा मानदंड कई लोगों को वंचति करते हैं
  - पुनर्वास कॉलोनी
    - स्थान – आवास को रोज़गार से अलग करना
    - पुनर्वास के कई सालों बाद भी सेवाओं का अभाव ➔ 'नयिोजति स्लम'
  - 'इन-सीटू' तरीका – भागीदारी की कमी
  - नयिमति होने के बाद भी, 'अनाधकिृत कॉलोनयिों' का 'नयिोजति' शहर से बाहर रहना

नषि्करष्

- वभिनि्न सरकारी एजेंसयिों के होने की वजह से समन्वय का असफल होना
- एजेंसी के उद्देश्य की स्पष्ट समस्या: डी.यू.एस.आई.बी. और डी.डी.ए.
- नरि्वाचति प्रतनिधिनिीतयिां बनाने में अक्षम: मध्यस्थ की भूमकिा तक सीमति
- कमज़ोर सुझाव तंत्र: नागरकिों की भागीदारी के लएि बहुत कम संस्थागत अवसर